



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 भाद्र 1947 (श10)

(सं० पटना 1555) पटना, सोमवार, 22 सितम्बर 2025

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

26 अगस्त 2025

सं० 7/आरोप-06-03/2025-15853/सा0प्र0—महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-68300 दिनांक 19.08.2025 द्वारा संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री आनन्द अभिषेक, परीक्ष्यमान असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), शेखपुरा के अशोभनीय व्यवहार के फलस्वरूप न्यायिक पदाधिकारी के रूप में उनकी सेवा अनुपयुक्त होने एवं सेवा में निरंतरता नहीं बनाये रखने हेतु बिहार न्यायिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2020 के नियम-11, के स्पष्टीकरण (1)(vii) के तहत सेवा से विमुक्त (Discharge from service) किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गुफ़रान अहमद,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1555-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>